



बैंड development authority
बैंड विकास प्राधिकरण

तुलसी नगर आवासीय योजना के

शैक्षिक व व्यवसायिक भूखण्डों
की नीलामी हेतु
विवरण पुस्तिका

नीलामी तिथि - 16.01.2021

मूल्य रू0- 1000/-

तुलसी नगर आवासीय योजना एक दृष्टि में

योजना का कुल क्षेत्रफल : 19.00 हैक्टेयर

योजना की स्थिति : तिन्दवारी रोड से चिल्ला रोड को मिलाने वाले पुराने बाई पास पर।

बाबूलाल चौराहा से 2.50 किमी० दूरी पर स्थित है।

रेलवे स्टेशन से 3.00 किमी० की दूरी पर स्थित।

तिन्दवारी रोड तथा चिल्ला रोड पर सुगम यातायात।

हरा भरा प्रदूषण मुक्त परिसर।

1. विवरण पुस्तिका एवं निविदा/बोली प्रपत्रों की बिक्री

विवरण पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक से रू०-1000/- नकद भुगतान पर क्रय की जा सकती है।

2. सम्पत्ति का विवरण

2.1 प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पतियां अर्जित है, भार रहित एवं विवाद रहित है।

2.2 भूखण्डों का विवरण, क्षेत्रफल, न्यूनतम आरक्षित दर, धरोहर राशि, नीलामी की तिथि संलग्नक-1 में उल्लिखित है।

2.3 भूखण्डों के लिए अधिकतम भू-आच्छादन, सैट-बैंक, ऊँचाई, अनुमन्य एफ०ए०आर०, विभिन्न तलों पर अनुमन्य उपयोग, बेसमेन्ट आदि सम्बन्धित प्राविधान बांदा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2016) तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होंगे।

3. अर्हता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

3.3 फर्म/साझेदारी फर्म/सोसाइटी (फर्म-सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

3.4 प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म-सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

3.5 व्यक्तिगत स्वामी।

3.6 रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

3.7 ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

3.8 एच०यू०एफ०।

3.9 पंजीकृत कंसोर्टियम (Consortium) फर्म।

3.10 अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।

शैक्षिक भूखण्डों हेतु

- 3.11 रजिस्टर्ड सोसायटी जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- 3.12 रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना हो (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- 3.13 ट्रस्ट जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड/ बिना रजिस्टर्ड)।
- 3.14 अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना हो)।
4. निविदा/बोली-प्रपत्र जमा करने व खोले जाने की प्रक्रिया
 - 4.1 मोहरबन्द निविदायें "स्वहस्ताक्षरित नियम व शर्तों के साथ" संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदायें निर्धारित प्रारूप संलग्नक-2 पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक (जो कि संलग्नक-1 के अनुसार है) सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। कृपया आवेदक, नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के अनुसार आवेदन पत्र प्रयोग करें।
 - 4.2 योजना का नाम एवं आवेदित भूखण्ड का विवरण लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जाये।
 - 4.3 नीलामी का आयोजन संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि एवं समय पर किया जायेगा।
 - 4.4 जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में "स्वहस्ताक्षरित नियम व शर्तों के साथ" अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा प्रारूप-1 में निर्धारित समय से पूर्व नीलामी तिथि पर नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक-2 व 3 के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट /पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
 - 4.5 जिन्होंने मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु सीधे नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय से पूर्व नीलामी तिथि पर नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट /पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
 - 4.6 यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी, प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कंसोर्टियम (Consortium) फर्म एवं एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
 - 4.7 निविदा-सह-खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें रुपये प्रति वर्ग मीटर में दी जायेगी।
 - 4.8 एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार अपनी निविदा डालने के पश्चात् निविदा के माध्यम से दी गयी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
 - 4.9 आवेदक जिस भूखण्ड हेतु निविदा डालेगा, वह उस ही भूखण्ड पर बोली बोलने के लिए अधिकृत होगा। प्रत्येक भूखण्ड के लिए आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट /पे-आर्डर, आवेदन पत्र पृथक-पृथक प्रस्तुत करने होंगे।
 - 4.10 निविदा-सह-खुली नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।
5. आबंटन प्रक्रिया
 - 5.1 निविदा तथा नीलामी दोनों में प्राप्त सर्वोच्च दर पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। सर्वप्रथम खुली नीलामी की जायेगी, इसके उपरान्त निविदा खोली जायेगी।

- 5.2 नीलामी समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च निविदा/बोली दाता की प्रतिभूति धनराशि को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस को वापस कर दी जायेगी। सर्वोच्च निविदा/बोली दाता की प्रतिभूति धनराशि भूखण्ड के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
- 5.3 नीलामी कराने वाले अधिकारी नीलामी समाप्त होने, मोहरबन्द निविदा खोलने के उपरान्त अपनी संस्तुति गुण-दोष के आधार पर उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगे। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा/बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम् निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
6. भुगतान पद्धति
- 6.1 उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने के दिनोंक से 30 दिन में मूल्य की 25 प्रतिशत आंबटन धनराशि (जमा धनरोहर राशि को समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन-कम-किश्त पत्र जारी किया जायेगा।
- 6.2 अपरिहार्य परिस्थितियों में आवंटी के लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट कारणों से संतुष्ट होने पर देय आंबटन धनराशि (धरोहर धनराशि कम करते हुए) का 10 प्रतिशत दण्ड स्वरूप अतिरिक्त धनराशि जमा करने पर 30 दिन की अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी तथा इस अवधि के अन्दर धनराशि जमा न करने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6.3 अवशेष धनराशि 04 समान तिमाही किश्तों में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करना होगा। धनराशि समय से जमा न करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज के साथ अर्थात् 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।
- 6.4 आवंटी द्वारा जमा की गई राशि में से पहले ब्याज, फिर किश्त या अन्य देय में समायोजित की जायेगी। इस सम्बन्ध में आवंटी का कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
- 6.5 रू0-50.00 लाख तक के मूल्य की सम्पत्तियों हेतु आवंटन-कम-किश्त पत्र जारी होने के दिनोंक से एक माह की अवधि के अन्दर तथा रू0-50.00 लाख से अधिक की सम्पत्तियों हेतु आवंटन-कम-किश्त पत्र जारी होने के दिनोंक से दो माह की अवधि के अन्दर 100 प्रतिशत भुगतान करने पर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उक्त छूट की धनराशि आवंटी द्वारा स्वयं के स्तर से नहीं घटायी जायेगी। उक्त छूट की धनराशि का समायोजन सम्पत्ति की अन्तिम गणना के समय अन्य देयकों जैसे फ्री-होल्ड आदि में समायोजित की जायेगी। देय धनराशि का भुगतान बैंकर्स चैक/आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को भुगतान की तिथि माना जायेगा।
- 6.6 यदि देय तिथि के दिन बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही धनराशि जमा करा दे।
- 6.7 भूखण्ड के क्षेत्रफल एवं विक्रय मूल्य में परिवर्तन सम्भव है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक नापों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यदि मा0 न्यायालय द्वारा भूमि का प्रतिकर बढ़ाया जाता है, तो उसे आवंटियों को अनुपातिक रूप से वहन करना होगा।
- 6.8 आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 6.9 आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होने की दशा में बढ़े हुए क्षेत्रफल की गणना प्राप्त बोली की दर से की जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की दशा में 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की दर तत्समय आरक्षित दर एवं बोली दर में जो अधिकतम होगी, उसके आधार पर बढ़े हुए क्षेत्रफल के मूल्य की गणना की जायेगी।

- 6.10 व्यवसायिक भूखण्ड की रजिस्ट्री कराने से पूर्व फ्री-होल्ड चार्ज (लोकेशन चार्ज को सम्मिलित करते हुए भूखण्ड के कुल मूल्य का 12 प्रतिशत) एवं अन्य विविध चार्जेज जमा करने होंगे।
- 6.10.1- भूखण्ड आवंटन के एक वर्ष के अन्दर स्कूल भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि व लीजरेन्ट आदि जमा करने के उपरान्त भूखण्ड को 30 वर्षों हेतु लीज (पट्टे) पर दिया जायेगा। उसके उपरान्त लीज (पट्टे) का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 6.10.2- आवेदक संस्था द्वारा भूखण्ड की निर्धारित हो रही कीमत की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने तथा कीमत का 10 प्रतिशत लीज रेन्ट जमा करने के उपरान्त रजिस्टर्ड लीज डीड (पट्टा विलेख) निष्पादित करायी जायेगी तदोपरान्त आवेदक संस्था को भूखण्ड का कब्जा सौंपा जायेगा।
- 6.10.3- आवेदक संस्था को सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्राधिकृत/सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र नीलामी तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.10.4- शासनादेश के अनुसार नीलामी की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर स्कूल भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने एवं मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र न दिये जाने तथा लीज डीड के निष्पादन की तिथि से 03 वर्ष के अन्दर भवन का निर्माण न किये जाने पर समस्त जमा धनराशि जब्त करते हुये भूखण्ड की नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
- 6.10.5- शासनादेश के अनुसार लीज डीड की निष्पादन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर स्कूल भवन का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 6.10.6- जिस उद्देश्य व प्रयोजन हेतु भूखण्ड का आवंटन किया गया है, भूखण्ड उसी उपयोग में लाया जायेगा। उल्लघन की स्थिति में लीज निरस्त करते हुये विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः प्रवेश (Re-entry) की कार्यवाही की जायेगी।
- 6.10.7- आवंटित स्कूल भूखण्ड पर निर्मित होने वाले विद्यालय में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण अथवा शिक्षण शुल्क में छूट की देयता आदि के प्राविधान प्रदेश सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की सुसंगत नीतियों/शासनादेशों (समय-समय पर यथा संशोधित) से शासित होंगे।
- 6.11 भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय निर्धारित स्टाम्प शुल्क आवंटी द्वारा सम्पूर्ण मूल्य पर देय होगा।
7. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्राविधान
- 7.1 आवंटी को बांदा विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करते हुए ऋण लेने पर भूखण्ड को बन्धक रखने का अधिकार होगा।
8. भूखण्ड का कब्जा हस्तान्तरण
- 8.1 आवंटित व्यवसायिक सम्पत्ति का कब्जा भूखण्ड के मूल्य की समस्त धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए कुल भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड धनराशि, लोकेशन चार्जेज

व प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

- 8.2 निबन्धन इत्यादि में आने वाले समस्त व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 8.3 आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प ड्यूटी वहन करके परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्री उपरान्त मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य कराने को अधिकृत होगा।
- 8.4 प्राधिकरण द्वारा सूचित अवधि में भूखण्ड का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार प्रतिमाह रू0-300/- चौकीदारी शुल्क (जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है) के रूप में प्राधिकरण में जमा करना होगा। विलम्बतम 3 माह तक कब्जा न लेने पर उपाध्यक्ष, बांदा विकास प्राधिकरण को भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 8.5 यदि प्राधिकरण आवंटित परिसम्पत्ति का किसी अपरिहार्य परिस्थिति अथवा घटना के कारण रजिस्ट्री के उपरान्त तीन माह में कब्जा नहीं दे पाता है तो आवंटी को यह विकल्प होगा कि वह जमा धनराशि 3.50 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापस ले लें। इन परिस्थितियों में प्राधिकरण को कतिपय कारणों से आवंटन निरस्त करते हुए स्वतः धनराशि वापस करने का अधिकार होगा। इस स्थिति में आवंटी किसी न्यायालय या जिला उपभोक्ता फोरम में क्षति का दावा नहीं करेगा।
9. फ्री-होल्ड शुल्क
प्राधिकरण द्वारा आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड की भूमि का निबन्धन फ्री-होल्ड भूमि के रूप में किया जायेगा। फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में भूमि के मूल्य (लोकेशन चार्ज सहित) का 12 प्रतिशत धनराशि निबन्धन के पूर्व देय होगा।
10. परित्याग
- 10.1 यदि सर्वोच्च बोली/निविदादाता नीलामी प्रक्रिया के पश्चात् परन्तु आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व भूखण्ड लेने की अनिच्छा प्रकट करता है, तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10.2 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त भूखण्ड परित्याग करने पर धरोहर धनराशि जब्त करते हुए आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि से 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
11. निरस्तीकरण
- 11.1 देय किश्तों की धनराशि के समय से जमा न करने पर, लगातार 3 किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा आवंटी को बिन्दु सं0-10.2 के अनुसार कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 11.2 यदि किसी आवंटी का आवंटन समय से देय धनराशि जमा न करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर निरस्त किया जाता है तो धरोहर धनराशि जब्त करते हुए बिन्दु सं0-10.2 के अनुसार अवशेष धनराशि वापस की जायेगी।
- 11.3 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी गई पायी जाती है तो उपाध्यक्ष, बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि को जब्त कर ले। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही प्राधिकरण जो उचित समझे, की जा सकती है।
- 11.4 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0)/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा भूखण्ड के मद में जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में
यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसको आवंटित भूखण्ड उसके विधिक उत्तराधिकारी को शासनादेशानुसार आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।
13. उपयोग

- 13.1 परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही उपयोग किया जायेगा अन्यथा उपयोग की दशा में आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा।
- 13.2 आवंटी केवल आवंटित क्षेत्रफल का ही उपयोग करेगा इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रफल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। यदि आवंटी उक्त का उल्लंघन करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 13.3 आवंटित सम्पत्ति का आवंटी कोई उप खण्ड नहीं कर सकता, परन्तु एक से अधिक परिसम्पत्तियों का आवंटन एक ही नाम से होने पर समामेलन निर्धारित प्रतिबन्धों सहित गुण व दोष के आधार पर अनुमन्य होगा। समामेलन के उपरान्त बने बड़े भूखण्ड के अनुसार भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0, ऊँचाई, सैट वैक आदि के प्राविधान लागू होंगे।
- 13.4 आवंटियों को बिजली तथा पानी का कनेक्शन स्वयं अपने नाम पर व अपने व्यय पर सम्बन्धित विभागों से लेना होगा।
- 13.5 आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित 2016) की धारा-15 के अन्तर्गत बांदा विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवं प्रचलित बांदा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा। व्यवसायिक-कम-आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र "काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर" से पंजीकृत वास्तुविद, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, पंजीकृत नगर नियोजक तथा आवंटी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। तीन मंजिल से अधिक ऊँचाई के भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी प्राविधान किये जाने एवं उनके स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जायेगा। आवंटी द्वारा उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का सम्वर्धन) अध्यादेश, 2003 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार अग्निशमन विभाग की अनापत्ति भी संलग्न की जायेगी। साथ ही ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के आवश्यक प्राविधान करने होंगे।
- 13.6 सम्पत्ति की रजिस्ट्री के उपरान्त बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण करने एवं अनुमन्य भू-उपयोग के विरुद्ध सम्पत्ति का उपयोग करने की दशा में उ0प्र0 निर्माण एवं विकास अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी एवं आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा।
- 13.7 आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं साँझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
- 13.8 यह कि आवंटी अपने भूखण्ड का कूड़ा आदि रास्ते में बिना किसी जगह गिराये उस स्थान पर डाला जायेगा जो इसके लिए आरक्षित की गई हो। कूड़ादान या कचरा रास्ते में नहीं रखा जायेगा।
14. अनुरक्षण व्यय एवं कर आदि की देयता :-
- 14.1 योजना जब तक नगर पालिका को हस्तान्तरित नहीं हो जाती है, तब तक अनुरक्षण शुल्क के रूप में निश्चित की गयी धनराशि आवंटियों द्वारा बांदा विकास प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी।
- 14.2 आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में नगर पालिका अथवा किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।
15. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें
- 15.1 भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं विकास कार्य पूरा होने का समय अनुमानित है, इनमें कभी भी परिवर्तन किये जा सकते हैं।
- 15.2 परिसम्पत्ति का आवंटन उच्चतम् बोली/निविदा को प्रचलित सिद्धान्त पर "जहाँ है जैसा है" के तहत किया जायेगा।
- 15.3 आवंटित भूखण्ड के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण कब्जा देने में विलम्ब होता है, तो आवंटी को बिन्दु सं0-8.5 के अनुसार धनराशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

- 15.4 उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवं भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुपालन करना होगा।
- 15.5 उपरोक्त शर्तों में बिना पूर्व सूचित किये परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, बांदा विकास प्राधिकरण को होगा।
- 15.6 आवंटन के सम्बन्ध में बांदा विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किए गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन भी लागू एवं मान्य होंगे।
- 15.7 आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में पंजीकरण संख्या (फार्म संख्या) तथा सम्पत्ति श्रेणी अवश्य लिखा जाना चाहिए।
- 15.8 डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना बांदा विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
- 15.9 सभी देय राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जा सकती है।
- 15.10 नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलाम की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।
- 15.11 किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।
- 15.12 किसी भी वाद-विवाद का परिक्षेत्र बांदा होगा।
- 15.13 आवंटन के उपरान्त देय आवंटन धनराशि एवं किशतों की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक, शाखा छावनी बांदा में खाता संख्या 0540002100096702 IFSC Code - PUNB005400 में जमा की जा सकती है।
- 15.14 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरें। धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक "सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा" के पक्ष में देय होगा तथा विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप को रू0-10/- के स्टाम्प पर अंकित करते हुए नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करा कर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर नियत तिथि में समस्त संलग्नों सहित प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में डाले।
16. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख/प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है :-
- 16.1 संलग्नक-4 पर दिया गया शपथ-पत्र रू0-10/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित तथा संलग्नक-2 व 3 पर दिया गया आवेदन फार्म पूर्ण करते हुए निविदा बॉक्स में संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि व समय पर डालना होगा। संलग्नक-2 व 3 पर दिया गया आवेदन फार्म खुली नीलामी के समय संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि व समय पर प्रस्तुत करना होगा।
- 16.2 आवेदित भूखण्ड के सापेक्ष संलग्नक-1 के विवरण के अनुसार देय धरोहर धनराशि का सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक।
- 16.3 आवेदन फार्म में दिये गये विवरण के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां।
- 16.4 विवरण पुस्तिका के नियम व शर्तों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 16.5 रू0-30/- का डाक टिकट लगा हुआ स्वपता लिखा लिफाफा।
- 16.6 आवेदन फार्म तथा इसके साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्र आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।

उपाध्यक्ष, बांदा विकास प्राधिकरण,
बाबू लाल चौराहा, बांदा।
फोन नं0-

ई मेल-bda.banda@rediffmail.com

निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा
 मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो
 मान्य है। निविदा/नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों से मेरा व्यवसायिक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है।

निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर

नाम :

पिता का नाम :

पता :

संलग्नक-1

निविदा-सह-खुली नीलामी में सम्मिलित व्यवसायिक, शैक्षिक
 भूखण्डों का विवरण तथा कार्यक्रम

पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने की तिथि

निविदा तिथि व समय -

नीलामी तिथि व समय -

निविदा/नीलामी हेतु स्थान -

क्र०सं०	योजना	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कुल भूखण्ड की संख्या	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (रु० में)	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	प्रतिभूति/धरोहर राशि (रु० लाख में) (05 प्रतिशत)
1	तुलसी नगर आवासीय योजना	व्यवसायिक	441.00	1	19000.00	83.79	4.20
2	तुलसी नगर आवासीय योजना	व्यवसायिक	920.00	1	19000.00	174.80	8.74
3	तुलसी नगर आवासीय योजना	व्यवसायिक	363.00	1	19000.00	68.97	3.45
4	तुलसी नगर आवासीय योजना	शैक्षिक	2664.00	1	9500.00	253.08	12.66

1. नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में अंकित हैं।
2. पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय के सहायक लेखाकार श्री बी०एस० मिश्रा से रु०-1000.00 (जी०एस०टी० सहित) प्रति पुस्तिका की दर से प्राप्त की जा सकती है।
3. उक्त आबंटन निविदा-सह-नीलामी पद्धति पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाईट www.bdabanda.in पर भी उपलब्ध होगा।
4. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनोंक से 30 दिन में मूल्य की 25 प्रतिशत आबंटन धनराशि (जमा धनरोहर राशि को समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन-कम-किश्त पत्र जारी किया जायेगा।
5. अवशेष धनराशि 04 समान तिमाही किश्तों में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करना होगा। धनराशि समय से जमा न करने पर 03 प्रतिशत दण्ड ब्याज सहित अर्थात् 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।
6. उपरोक्त भूखण्डों को स्थल पर भी देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, बांदा विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।
7. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, बांदा को बिना कारण बताएँ उपरोक्त में से किसी भी सम्पत्ति को निविदा/नीलामी से हटाने/स्थगित करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. उपरोक्त प्रस्तावित भूखण्डों के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को तुलसी नगर आवासीय योजना में व्यवसायिक एवं शैक्षिक हेतु भूखण्ड की आवश्यकता हो, तो वह अपना लिखित आवेदन अलग से उपाध्यक्ष/सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है, जिसे प्राधिकरण द्वारा अगली नीलामी में यथा आवश्यक सम्मिलित किया जाएगा।

बांदा विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी हेतु आवेदन पत्र

1. योजना का नाम
2. आवेदित भूखण्ड (क) संख्या
(ख) क्षेत्रफल
3. आवेदक/फर्म संस्था/कम्पनी का नाम श्री/श्रीमती/कु0/मैसर्स :-
हिन्दी.....
अग्रेजी (ब्लाक लेटर).....
4. पिता/पति का नाम.....
5. आयु.....6. लिंग.....7. वैवाहिक स्तर.....8 जाति.....
9. स्थायी पता
10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता
11. आरक्षण श्रेणी.....(प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
12. पंजीकरण धनराशि रू0 (अंको मे).....
शब्दो में
13. बैंक का नाम जहां से पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट निर्गत किया गया
14. आवेदक का बैंक खाता संख्या M.I.C.R. संख्या
बैंक का नाम व पता I.F.S.C. संख्या
15. आवेदक का मोबाइल नं0ई मेल आई0डी.....
16. पैन नं0..... वार्षिक आय
17. भूखण्ड सं0..... विज्ञापित क्षेत्रफल.....(वर्ग मी0 में)
18. दूरभाष/मोबाइल नं0.....



आवेदक के हस्ताक्षर

बांदा विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी हेतु नामित व्यक्ति
की पारिवारिक सूचना

1. नामित व्यक्ति का नाम.....
नामित अवयस्क होने की दशा में अवयस्क के अभिभावक का नाम व पता
.....
.....
.....
2. परिवार के सदस्यों की संख्या

आवेदक की
पासपोर्ट साइज
फोटो

परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रमांक	नाम	आयु	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

उपरोक्त विवरण की सत्यता मैं स्वयं प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं तद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त क्रमांक 1 से 18 तक दी गयी सूचना मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और प्राधिकरण की सभी नियत एवं शर्तें मुझे मान्य है। इस शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न भी नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी में कुछ भी गलत अथवा असत्य हो मैंने कोई तहत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त बांदा विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे, पुनः कब्जा ले लें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को जब्त कर ले और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक के अहस्ताक्षर

बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा
प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में नीलामी द्वारा लीज (पट्टे) पर शिक्षण संस्थाओं
के लिए स्कूल भूखण्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

योजना का नाम.....

1. आवेदक संस्था का नाम (रजिस्टर्ड) व पूरा पता.....
2. संस्था के प्रतिनिधि का नाम.....
3. पूरा नाम
4. संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण (प्रति संलग्न करें).....
5. यदि संस्था द्वारा मान्य स्कूल संचालित किया जा रहा हो तो उसका पूर्ण विवरण

क्र०सं०	कब से कार्यरत	कहाँ कार्यरत	उपलब्ध भूमि		वक्षा कहां से कहां तक	रिजल्ट	कुल विद्यार्थियों की संख्या	पिछले तीन वर्ष का परीक्षाफल
			कुल भूमि	कुल निर्माण				
1								
2								
3								
4								
5								

6. संस्था के मान्यता प्राप्त होने का विवरण (सप्रमाण).....
7. यदि हां तब किस संस्था से मान्यता प्राप्त है एवं सम्बद्ध (प्रतिलिपि संलग्न करें)
8. आवेदन किस भूमि तथा स्कूल हेतु प्रस्तुत किया गया है।
9. विस्तार की योजना का विवरण (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें)
10. आयकर रिटर्न
11. पंजीकरण धनराशि/नीलामी हेतु धरोहर राशि का विवरण रू०.....ड्राफ्ट/पे-आर्डर सं०.....दिनांक.....बैंक का नाम.....

—: घोषणा :-

- (1) मैंने इस योजना हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं उन सभी से सहमत हूँ।
- (2) मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाएँ सही व पूर्ण हैं और असत्य कथन नहीं किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

दिनांक

आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....

संलग्नक-4

"रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी/मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप"

"शपथ-पत्र"

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....
..... तथा व्यवसाय का विवरणआयु पूर्ण पता

.....मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ। बांदा विकास प्राधिकरण की योजना में श्रेणी के भूखण्ड सं0-..... सेक्टर/खण्ड हेतु निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र के साथ आरक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करते हुए आवेदन कर रहा हूँ/कर रही हूँ। जिसके तारतम्य में यह शपथ-पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

1. यह कि मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
2. यह कि मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बांदा विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है, मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी।
3. यह कि मैं भारत का मूल निवासी हूँ तथा मेरी नागरिकता भारतीय है।
4. यह कि यदि मैं आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वीकार नहीं करता/करती हूँ तब मैं बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूँगा/करूँगी।
5. यह कि बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया भूखण्ड मुझे प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा तथा मुझे इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
6. यह कि यदि शपथकर्ता अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो अवशेष बकाया की वसूली ब्याज सहित भू-राजस्व बकाया की वसूली की भाँति जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से की जा सकती है।
7. यह कि मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है, तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो प्राधिकरण उपयुक्त समझें।
8. यह कि मैं वचन देता हूँ कि मेरा यह शपथ-पत्र गलत पाया जाता है तो मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाए तथा जमा की गयी समस्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाये।
9. यह कि मैं वचन देता/देती हूँ कि प्रपत्र में अंकित भूखण्ड के वर्तमान योजना में प्रस्तावित उपयोग के अनुसार ही मैं भूखण्ड का उपयोग करूँगा/करूँगी।
10. यह कि बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त योजना के लिए भविष्य में जो भी नियम लागू किये जायेंगे, वह मुझे मान्य होंगे।
11. यह कि आवंटित भूखण्ड के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।
12. यह कि मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि भूखण्ड का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं ही भूखण्ड के सम्पत्ति कर अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने हेतु उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। जब तक मैं भूखण्ड की समस्त धनराशि व कर के धन का पूर्ण भुगतान न कर दूँगा/दूँगी, प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूँगा/रहूँगी।
13. यह कि मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि जब तक भूखण्ड की समस्त बकाया व करों का पूर्णरूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भूखण्ड बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा तथा भूखण्ड पर कोई अन्य निर्माण कार्य प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना मैं नहीं करूँगा/करूँगी और न ही भूखण्ड की अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा/लाऊँगी।

14. यह कि भूखण्ड का वर्तमान मूल्य अन्तरिम है। यदि प्रतिकर बढ़ने से या विकास कार्य मूल्य बढ़ने से भूखण्ड की कीमत बढ़ जाती है तब उस स्थिति में शपथकर्ता बढ़े हुए मूल्य को देने का पाबंद रहेगा और इस विषय में किसी मा० न्यायालय या उपभोक्ता फोरम में विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद योजित नहीं करेगा। इस शपथ-पत्र के पैरा-1 से 14 मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य है इनमें से कुछ भी झूठ नहीं है एवं न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी सहायता करें।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणा : इस शपथ पत्र का सत्यापन आज दिनांक को स्थान पर किया गया ।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

“रू० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी/मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप”

“शपथ-पत्र”

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....
तथा व्यवसाय का विवरणआयु पूर्ण पता
..... मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ। कि मैं बांदा विकास प्राधिकरण की तुलसी नगर आवासीय योजना सेक्टर-.....में दुर्बल/अल्प/मध्यम आय वर्ग भवन श्रेणी के भवन सं०-.....हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करते हुए आवेदन कर रहा हूँ/कर रही हूँ। जिसके तारतम्य में निम्न शपथ-पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ :-

1. यह कि मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
2. यह कि मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बांदा विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है, मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी।
3. यह कि मैं भारत का मूल निवासी हूँ तथा मेरी नागरिकता भारतीय है।
4. यह कि यदि मैं आवंटित भवन का आवंटन स्वीकार नहीं करता/करती हूँ तब मैं बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूँगा/करूँगी।
5. यह कि बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया भवन मुझे प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा तथा मुझे इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
6. यह कि यदि शपथकर्ता अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो अवशेष बकाया की वसूली ब्याज सहित भू-राजस्व बकाया की वसूली की भाँति जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से की जा सकती है।
7. यह कि मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है, तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध (कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो प्राधिकरण उपर्युक्त समझें।
8. यह कि मैं वचन देता हूँ कि मेरा यह शपथ-पत्र गलत पाया जाता है तो मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाए तथा जमा की गयी समस्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाये।
9. यह कि मैं वचन देता/देती हूँ कि प्रपत्र में अंकित भवन के वर्तमान योजना में प्रस्तावित उपयोग के अनुसार ही मैं भवन का उपयोग करूँगा/करूँगी।
10. यह कि बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त योजना के लिए भविष्य में जो भी नियम लागू किये जायेंगे, वह मुझे मान्य होंगे।
11. यह कि आवंटित भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।
12. यह कि मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि भवन का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं ही भवन के सम्पत्ति कर अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने हेतु उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। जब तक मैं भवन की समस्त धनराशि व कर के धन का

- पूर्ण भुगतान न कर दूंगा/दूंगी, प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूंगा/रहूंगी।
13. यह कि मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि जब तक भवन की समस्त बकाया व करों का पूर्णरूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भवन बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा तथा भवन पर कोई अन्य निर्माण कार्य प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना मैं नहीं करूँगा/करूँगी और न ही भवन की अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा/लाऊँगी।
14. यह कि भवन का वर्तमान मूल्य अन्तरिम है। यदि प्रतिकर बढ़ने से या विकास कार्य मूल्य बढ़ने से भवन की कीमत बढ़ जाती है तब उस स्थिति में शपथकर्ता बढ़े हुए मूल्य को देने का पाबंद रहेगा और इस विषय में किसी मा० न्यायालय या उपभोक्ता फोरम में विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद योजित नहीं करेगा।
- इस शपथ-पत्र के पैरा-1 से 14 मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य है इनमें से कुछ भी झूठ नहीं है एवं न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी सहायता करें।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा : इस शपथ पत्र का सत्यापन आज दिनांक को स्थान पर किया गया ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर